

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2900

दिनांक 04-04-2016


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 मार्च, 2016 के पद क्रमांक (32) के निर्णयानुसार शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-


1. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार भवन की व्यवस्था करें।
2. बार काउंसिल के नियमानुसार INDIAN BAR REVIEW के 10 VOLUME 'SSC' A.I.R., A.I.R. MANUAL' CRIMINAL LAW JOURNAL, M.P. LAW JOURNAL का चालू वर्ष (2016) तथा पिछले 10 वर्ष के BACK VOLUME क्य करें। तथा SELECTED JUDGEMENTS ON PROF. ETHICS (BCI) क्य करें।
3. बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की व्यवस्था करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना।
2. सचिव, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, 21 राज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता

महाविद्यालयीन विकास परिषद्